e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 13, Issue 1, January 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.423

9940 572 462 | 6381 907 438 | ijirset@gmail.com | www.ijirset.com

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301038 |

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका: एक अध्ययन

SNEHLATA YADAV

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

सार

महिलाएं अपने क्षेत्र में पंचायतों की सदस्य और संबंधित पंचायतों की अध्यक्ष बनकर पंचायती राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राष्ट्रीय प्रशासन और विकास में महिलाओं को शामिल करना भारत की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को शामिल करने का प्राथमिक चिंता और कारण था।

परिचय

पंचायत प्रणाली में ग्राम राज और ग्राम स्वराज के बारे में भारत की अवधारणा पश्चिम की संकल्पना से अलग है । निर्णय करने की पंच परमेश्वर की भारतीय पध्दति एक आदर्श पध्दति है क्योंकि ये पंच, लोगों की समस्याओं को सबसे अच्छी तरह जानते हैं । हमारे देश में पंचायत की संकल्पना काफी पुरानी है । चौपाल, जाति पंचायत और परिवार पंचायत आदि संस्थाओं में आधुनिक पंचायत व्यवस्था की जड़ें व्याप्त थीं। सिंधु घाटी की सभ्यता में इसका प्रमाण मिलता है ।

हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएं हैं । अत: देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर नहीं हो सकता । भारत में अनादि काल से जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर काम किया । भारतीय महिलाएं घर-गृहस्थी का पूरा काम-काज निपटाने के साथ-साथ राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में खेतों, खलिहानों, कल-कारखानों, दपऊतरों, अस्पतालों में उपयोगी योगदान करती आई हैं । चाहे गांवों में साक्षरता के प्रसार का अभियान हो, या गांव के युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का मामला हो, गांव में पीने के पानी की समस्या अथवा फसलों को बीमारियों से बचाना हो यह सब कार्य ग्रामीण महिलाएं ही आपसी सहयोग और विकास कार्यों में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करके कर सकती हैं । बढती अ◌ाबादी की रोकथाम, पर्यावरण की रक्षा, बच्चों को पौष्टिक व संतुलित आहार देने और इन सबसे बढक़र स्थानीय संसाधनों की अधिकाधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में महिलाएं ही अपना योगदान और नेतृत्व दे सकती हैं । अत: पंचायती राज संस्थानों में भी महिलाओं की अहम भूमिका है ।[1,2,3]

समस्याएं

विभिन्न सामाजिक-आर्थिक रूकावटों के कारण महिलाओं को अपनी सांख्यिकी शक्ति के बावजूद समाज में बहुत छोटा दर्जा प्राप्त है । महिलाओं द्वारा अनौपचारिक राजनैतिक क्रियाओं में तीव्र वृध्दि के बावजूद राजनैतिक संरचना में इनकी भूमिका वास्तव में अपरिवर्तित रही है ।

कई महिला प्रतिनिधियों को, खासकर कमजोर वर्ग की महिलाओं को, वित्तीय समस्या से अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए कृषि कार्य अथवा मजदूरी पर जाना पड़ता है । उनका मानना है कि यदि वे पंचायत की बैठकों में जायेंगी तो उनके परिवार का पालन-पोषण कौन करेगा ।

यह देखने को मिलता है कि जिन महिला प्रतिनिधियों के परिवार में 13-16 सदस्य हैं वे परिवार की देखभाल करने और घर का काम करने के कारण पंचायत की बैठकों में कम ही भाग ले पाती हैं । जिन महिला प्रतिनिधियों का परिवार खेती पर निर्भर है, कृषि कार्य से समय न मिलने के कारण वे पंचायत की बैठकों में भाग नहीं ले पातीं है ।

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301038 |

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है । यदि कोई महिला आगे बढक़र कोई कार्य करना भी चाहती है तो उसे समाज स्वीकार नहीं करता । समाज में पर्दा प्रथा, पुराने रीति-रिवाज तथा रूढवादिता आज भी विद्यमान हैं, जिससे महिलाएं विकास प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी नहीं कर पा रही हैं ।

कई गांवों में जातिवाद आज भी विद्यमान है । कुछ गांवों में जहां महिला सरपंच अनुसूचित जाति की हैं, वहां अन्य महिला प्रतिनिधि जो सामान्य तथा पिछड़े वर्ग की पंच महिला हैं, पंचायत की बैठकों में नहीं जातीं क्योंकि उनका मानना है कि महिला सरपंच नीची जाति की हैं और नीची जाति की महिलाओं के साथ बैठने से उनका अपमान होगा ।

अशिक्षित महिला प्रतिनिधि भी महसूस करती हैं कि उन्हें भी पढा-लिखा होना चाहिए ताकि वे भी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को बना सकें और उन्हें कार्यान्वित कर सकें । महिला प्रतिनिधियों को पंचायत का प्रतिनिधि बनने से पहले या बाद में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है । जिन गांवों में पंचायत भवन की व्यवस्था नहीं है, वहां महिला प्रतिनिधि पंचायतों की बैठक में नहीं जा पातीं । अधिकांशत: बैठक गांव के स्कूलों में होती है, जो गांव से काफी दूरी पर होते हैं।

पंचायती चुनावों मे कई क्षेत्रों में यह देखा गया कि समाज के प्रभावशाली व्यक्ति अपनी ही पत्नी, बहन, मां अथवा किसी अन्य संबंधी महिला को चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर देते हैं, जो बाद में उन्हीं के इशारे पर काम करने को विवश होती हैं । इस प्रकार महिलाओं को एक-तिहाई स्थानों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित प्रावधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं । गांवों में दलबंदी होने के कारण छोटे-छोटे झगड़े होते हैं और जनकल्याण की योजनाओं के प्रति वे सही निर्णय नहीं ले पातीं।

सुझाव

राजनैतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतनिधियों के प्रति पुरुष समाज की रूढिवादी सोच बदलनी होगी । महिलाएं पहली बार राजनीतिक माहौल में आ रही हैं । इसलिए उनमें भय, संकोच एवं घबराहट होती है । ऐसी महिलाओं में साहस उत्पन्न करना होगा तथा महिलाओं को उनकी आंतरिक क्षमता एवं शक्ति पर भरोसा कराना होगा । महिलाओं को भी पुरुषों जैसा ही मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा देनी होगी तभी राजनीति में महिलाओं का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हो सकेगा । राजनैतिक माहैल में अपराधीकरण, आतंकवाद, काला धन, चरित्र लांछन जैसे दुर्गुण हैं, इससे महिलाएं सार्वजनिक रूप से अलग रहती हैं । उन्हें सामाजिक अप्रतिष्ठा का भय बना रहता है। इसलिए राजनेताओं और राजनैतिक दलों द्वारा इस दूषित वातावरण में परिवर्तन लाना जरूरी है, ताकि महिलायें राजनीति में अपना सक्रिय योगदान दे सकें ।

समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का गठन करना आवश्यक है । ऐसे समाज का निर्माण करना होगा, जहां मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं, स्त्री एवं पुरुष एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखें । स्त्री और पुरुष, दोनों ही पारस्परिकर् ईष्या, द्वेष, अहंभावना से ऊपर उठ कर परस्पर सहयोग, परिश्रम एवं संगठन शक्ति का उपयोग कर गांव के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे ।

अधिकतर महिला प्रतिनिधि अनपढ है, ज़िससे उनको पंचायत के लेखापत्र, नियम पढने में या लिखने में दिक्कत आती है । अत: महिला पंचायत प्रतनिधियों को शिक्षा देनी जरूरी है । प्रौढ शिक्षा का लाभ उठाकर एक शिक्षित व्यक्ति एक अनपढ व्यक्ति को पढाने का संकल्प करें तो निरक्षरता का कलंक शीघ्र ही दूर हो सकता है और इससे पंचायतें सक्षम बनेंगी ।

जन जागृति तथा देश के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर जोर देना होगा । ऐसा वातावरण उत्पन्न करना होगा, जिसमें इन मूल्यों को उपयुक्त महत्व प्रदान किया जाए तभी महिलाएं ऊपर उठ सकेंगी और वे पंचायती राज संस्थाओं में हिस्सा ले सकेंगी । महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए चुने गए प्रतिनिधियों और विकास अधिकारियों के बीच संपर्क के जरिए सक्रिय प्रयत्नों की जरूरत है । निरन्तर सभाओं और विचार-विमर्श के द्वारा कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए । महिला विकास कार्यक्रम पंचायतस्थानीय अधिकारियों से अनिवार्य रूप से सम्बध्द हों जिससे कि विकास में महिलाओं की ज्यादा प्रभावपूर्ण भागीदारी संभव हो सके ।

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301038 |

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

74 वां संविधान संशोधन

हमारे देश के कर्णधारों ने पंचायतों को अहम भूमिकाएं सौंपी, जिन में से एक थी महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी को बढावा देना । संविधान के 73वें तथा 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज को एक नई दिशा दी गई । इससे सब से बड़ा लाभ यह हुआ कि जनसहभागिता का लाभ कमजोर व पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को मिला । 33 प्रतिशत महिलाओं की निश्चित भागीदारी ने आरक्षण के द्वारा लगभग 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों के चुनावों में भागीदारी का अवसर दिया। इसके फलस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में 43 प्रतिशत तक महिला प्रतिनिधि चुन कर सशक्तिकरण के मार्ग की ओर अग्रसर हुईं ।

यह निश्चित किया गया कि ग्राम स्वराज की व्यवस्था में ग्राम सभा की अपनी स्थाई समितियों का होना आवश्यक है ताकि बैठकों में कोरम की अनिवार्यता में 33 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके । इसका यह लाभ हुआ कि अत्यधिक विरोधों के बावजूद देश भर में पंचायतों के जरिए जहां-जहां महिलाएं सरपंच चुनी गई, वहां-वहां कमोबेश पूरे उत्साह के साथ विकास कार्यों में जुट गई ।

पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय, 27 मई, 2004 से अस्तितव में आया है । इसे पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उपशमन और समृध्दि के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने का कार्य सौंपा गया है । इस मंत्रालय का गठन मूलत: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (सीएए) द्वारा जोड़े गए संविधान के खंड 9 के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए किया गया है । पंचायतों की संख्या की वर्तमान स्थिति (1 अप्रैल, 2005) इस प्रकार है ग्राम पंचायत 2,34676, मध्यवर्ती पंचायत 6,097, जिला पंचायत 537 कुल पंचायत संस्थाएं 2, 41,310 । इन संस्थाओं में महिलाओं की संख्या और उनका प्रतिशत इस प्रकार है - जिला पंचायत में 41 प्रतिशत, मध्यवर्ती पंचायत में 43 प्रतिशत और ग्रामपंचायत में 40 प्रतिशत। पंचायतों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण का कार्य किया जा रहा है । पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी उनके लिए आरक्षित 33 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक है। देश में पंचायतों के 22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से करीब 9 लाख महिलाएं हैं । तीन स्तरों वाली पंचायत प्रणाली में 59,000 से अधिक महिला अध्यक्ष हैं ।

महिला सरपंचों की सशक्तिकरण की गाथा तो आए दिन समाचार पत्रों में भी पढने क़ो मिलती हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इन महिला प्रतिनिधियों ने विकास के अपने तरीके खोजे हैं । वे इस बात का विशेष ख्याल रखती हैं कि महिलाएं कहीं सतायी तो नहीं जा रही हैं, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि महिला होने के नाते वे महिलाओं के दुख-दर्द को अच्छी प्रकार समझ सकती हैं ।पंचायती राज संस्थाओं में परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 60 लाख महिलाओं के प्रतिनिधित्व ने सामाजिक लामबंदी की प्रक्रिया को तेजी दी है और महिलाएं निजी और सार्वजनिक स्थानों में अपनी भूमिका को नए ढंग से गढ रही हैं । यह भी माना जा रहा है कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने के प्रयोग के अच्छे नतीजे रहे हैं क्योंकि महिलाओं ने न केवल राजनीतिक कौशल हासिल किया है बल्कि वे महिलाओं के हितों की प्रभावी समर्थक भी बनी हैं ।[4,5,6]

विचार-विमर्श

महिलाएं अपने क्षेत्र में पंचायतों की सदस्य और संबंधित पंचायतों की अध्यक्ष बनकर पंचायती राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । राष्ट्रीय प्रशासन और विकास में महिलाओं को शामिल करना भारत की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को शामिल करने का प्राथमिक चिंता और कारण था । 1992 के 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (या केवल पंचायती राज अधिनियम) ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की, जिसने इस प्रणाली में महिलाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। यह ग्रामीण पुनर्निर्माण में महिलाओं और आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता था । पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ। अधिनियम महिलाओं के लिए चयनित पदों के आरक्षण की मांग करता है।

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301038 |

जबकि पंचायती राज अधिनियम में कुछ चयनित पंचायती राज पदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की आवश्यकता है, इसके लिए पंचायतों में नव शामिल महिला उम्मीदवारों को ग्रामीण विकास मंत्रालय की मदद से प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कुछ कौशल और प्रशिक्षण प्राप्त करने की भी आवश्यकता है, जो इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका

महिलाओं को पंचायतों में कुछ भूमिकाएँ निभानी होती हैं , जैसे:

चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं

प्रमुख निर्णय लेने में भागीदारी

महिलाओं के प्रति हिंसा को कम करने का लक्ष्य

ग्रामीण विकास में भागीदारी

सामाजिक क्रांति का एजेंट बनना

भ्रष्टाचार और हिंसा को कम करने की दिशा में कदम उठाना

परिणाम

राजनीति में भागीदारी के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना कई मायने में महत्वपूर्ण है. राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने से न केवल लोकतंत्र को सशक्त किया जा सकता है, बल्कि इससे लैंगिक समानता को भी मज़बूती मिलती है. कहने का मतलब यह है कि राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कई व्यापक राजनीतिक फायदे तो हैं ही, इसके कई आर्थिक लाभ भी हैं. इस मुद्दे पर किए गए शोधों के मुताबिक़ राजनीति में महिलाओं की सहभागिता से जब नीतियां बनाई जाती हैं, तो उनके बेहद प्रभावशाली नतीज़े हासिल होते हैं. इसके अलावा महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व होने से राजनीति में भ्रष्टाचार कम होता है, लड़ाई-झगड़े और विवादों की संभावना कम हो जाती है. इतना ही नहीं राजनीति में जब अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी होती है, तो उनकी कोशिश होती है कि श्रम बल में महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं, साथ ही उनकी यह भी कोशिश होती है महिलाओं की आर्थिक उन्नति भी हो.[1] वास्तविकता में क्रिटिकल मास सिद्धांत के अनुसार शासन से जुड़े ढांचे में या विभागों में महिलाओं की मौजूदगी नीति निर्धारण के लिए बेहद अहम है. इस सिद्धांत में राजनीति में भागीदारी करने वाली महिला प्रतिनिधियों को 'महत्वपूर्ण जनसमूह' बताया गया है. साथ ही इस सिद्धांत के अनुसार इन महिलाओं की मौजूदगी इतनी व्यापक होनी चाहिए, जो न सिर्फ़ राजनीति और शासन की प्रक्रिया में महिलाओं का स्पष्ट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे, बल्कि महिला आबादी के सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले नीतिगत बदलावों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए. [2] राजनीतिक तौर पर महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए भारत समेत कई देशों में राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है. ज़ाहिर है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर व्यापक स्तर पर असंतुलन है, साथ ही तमाम ऐसी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक बाधाएं हैं, जो महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने से रोकती हैं. देखा जाए तो, संवैधानिक स्तर पर क़ानून बनाकर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करने से राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिध्तव बढ़ा है. जिन देशों में लैंगिक आधार पर आरक्षण का प्रवाधान किया गया है, वहां अन्य देशों की तुलना में ग्रामीण स्तर पर पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी तुलनात्मक रूप से अधिक है (7 प्रतिशत तक).[3] जनवरी 2023 तक के आंकड़ों पर नज़र डालें, तो 88 देश ऐसे हैं, जिन्होंने स्थानीय चुनावों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है. [7,8,9]

ज़ाहिर है कि भारत का 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, [A] वर्ष 1993 में पास किया गया था और लागू हुआ था. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय शासन की इकाइयों यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समितियों और ज़िला परिषदों के चुनाव में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है. इन स्थानीय इकाइयों को पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के तौर पर जाना जाता है.[B] पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित इस संवैधानिक संशोधन को लागू हुए

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301038 |

तीस साल हो चुके हैं. इस अधिनियम की बदौलत ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की स्थिति में ज़बरदस्त सुधार हुआ है. भारत जैसे देश में, जहां की राजनीति विविधितापूर्ण है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य और ग्रामीण स्तर तक फैली हुई है, वहां पंचायत स्तर फैसले लेने वालों में 1.45 मिलियन से अधिक महिलाएं प्रमुख भूमिका निभा रही हैं. [5]

वर्ष 2023 की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट (127 रैंकिंग) में भारत पिछले वर्ष 2022 की तुलना में 8 पायदान ऊपर पहुंच गया था. इस रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन यानी ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के समावेशन को एक नए संकेतक के रूप में जोड़ा गया. [6] इसमें शामिल 146 देशों में से केवल 18 देश ऐसे मिले, जहां लोकल गवर्नेंस में 40 प्रतिशत से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिला. इन देशों में भारत शीर्ष पर था, यानी भारत में स्थानीय शासन में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी है. (ग्राम पंचायत स्तर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 44.4 प्रतिशत महिलाएं हैं). महिलाओं की भागीदारी के मामले में ग्लोबल साउथ के अन्य देशों में भारत का स्थान यूके (35.3 प्रतिशत) और जर्मनी (30.3 प्रतिशत) से आगे हैं, वहीं ग्लोबल साउथ के अन्य देशों जैसे कि ब्राजील (15.7 प्रतिशत), इंडोनेशिया (15.7 प्रतिशत), और चीन (28.1 प्रतिशत) से भी भारत आगे है.[10,11,12]

इसके अतिरिक्त, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के फ्रेमवर्क में महिलाओं की सशक्त राजनीतिक भागीदारी [C] को एक लक्ष्य के तौर पर शामिल करना न केवल लोकतंत्र को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के महत्व को ज़ाहिर करता है, बल्कि SDGs को प्राप्त करने में स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व के महत्व को भी रेखांकित करता है.

वर्तमान में लैंगिक समानता, स्थानीय शासन और विकास के बीच के अहम संबंध की बात को स्वीकारा भी जा रहा है और समझा भी जा रहा है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिला प्रतिनिधि शामिल होती हैं, तो वे स्थानीय प्राथमिकताओं पर ख़ास ज़ोर देती हैं और ऐसा करके विकास कार्यों को जनहित के अनुरूप निर्धारित करती हैं. ज़ाहिर है कि विकेंद्रीकृत शासन का उद्देश्य भी यही है और महिलाओं की सक्रिय भूमिका कहीं न कहीं टिकाऊ विकास के लिए बहुत ज़रूरी है. स्थानीय शासन में महिला प्रतिनिधियों के प्रभाव से जुड़ी रिसर्च के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिला राजनीतिक प्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों के बीच आवश्यक सार्वजनिक वस्तुओं को बेहतर तरीक़े से पहुंचाने का काम किया है, इसके अलावा समावेशी और विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के उद्देश्य को सही मायनों में पूरा करते हुए ज़मीनी स्तर पर टिकाऊ और स्थाई विकास को सशक्त किया है. [8] अधिक बराबरी वाले और ज़िम्मेदार स्थानीय समुदाय को बनाने में महिला राजनीतिक प्रतिधियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे सर्व समावेशी भावना के साथ कार्य करती हैं, ऐसी नीतियों को प्रथामिकता देती हैं, जो लोगों और उनके परिवारों को आगे बढ़ाने में सहायक होती है. साथ ही महिलाएं जब लोकल गवर्नेंस में प्रमुख भूमिका में होती हैं, तो वे ज़ोरदारी के साथ लैंगिक समानता की बात उठाती है, यानी महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं. [9]

महिला मतदाताओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने के बावज़ूद भारत में 1990 के दशक तक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को ज़्यादा तबज्जो नहीं जाती थी. लेकिन वर्ष 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन के ज़रिए जब महिलाओं को पंचायत के चुनावों में आरक्षण मिला, तब एक बदलाव का दौर शुरू और ग्रामीण इलाक़ों में पारंपरिक राजनीति या फिर कहा जाए कि पुरुषों को वर्चस्व वाली राजनीति को समाप्त करने की मांग उठी. उसके बाद धीरे-धीरे इस बदलाव ने ज़ोर पकड़ा और फिर जिस स्थानीय राजनीति में पुरुषों का दबदबा था, वहां महिलाओं को भी हिस्सेदारी का अवसर मिलने लगा. 1990 के दशक की शुरुआत में जब पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित संशोधन पेश किया गया था, उस समय से महिलाओं से जुड़े तमाम संकेतक यह साफ दर्शाते हैं कि जब वे पहली बार राजनीति में उतरीं तब कई सामाजिक बंधनों में बंधी हुई थीं. वर्ष 1992-1993 में ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर 34 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 2019-2021 में यह 65.9 प्रतिशत थी. वर्ष 1992-1993 में ग्रामीण महिलाओं की कुल प्रजनन दर 3.7 बच्चे प्रति महिला थी, जो 2019-2021 में घटकर 2.1 हो गई. इसके अलावा, महिलाओं (20-49 आयु वर्ग में) के लिए विवाह की औसत आयु में भी सुधार हुआ है, वर्ष 1992-1993 में लड़कियों के विवाह की औसत आयु 16.2 वर्ष थी, जो वर्ष 2019-2021 में बढ़कर 19.2 वर्ष हो गई है.[10] , [11] भारत में यह संवैधानिक संशोधन किए जाने के बाद के दशकों में स्थानीय शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है. महिलाओं के इस बढ़ते प्रतिनिधित्व का असर भी देखा जा रहा है. जैसे कि महिला नेताओं की वजह से गांवों में सार्वजनिक वस्तुओं का बेहतर ढंग से वितरण होने लगा है, यानी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो रहा है, साथ ही महिलाओं की क्षमता और योग्यता को लेकर जो पारंपरिक सोच थी, उसमें भी बदलाव देखा जा रहा है. [12]

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301038 |

राजनीतिक तौर पर महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए भारत समेत कई देशों में राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है. ज़ाहिर है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर व्यापक स्तर पर असंतुलन है, साथ ही तमाम ऐसी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक बाधाएं हैं, जो महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने से रोकती हैं.

हालांकि, ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत में पंचायतों द्वारा किए जा रहे बेहतरीन कार्यों की सराहना करने में कंजूसी बरती जा रही है.[13] ख़ास तौर पर जब पंचायतों में महिलाएं चुनकर पहुंचती हैं और अपनी मेहनत से समाज के कल्याण के लिए कुछ अलग करती हैं, तो कहीं से भी प्रशंसा की आवाज़ नहीं सुनाई देती है. यह कहना उचित होगा कि भारत के ग्रामीण अंचलों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWRs) के योगदान को काफी हद तक कम करके आंका गया है, या फिर एकदम से नज़रंदाज कर दिया गया है. भारत के कई गांवों में किए गए अध्ययनों में सामने आया है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशंसा और सराहना मिलने की उम्मीद बेहद कम होती है. ग्राम पंचायतों में महिला प्रतिनिधि पुरुष निर्वाचित प्रतिनिधियों के मुक़ाबले चाहे जितना अच्छा कार्य करें, उनकी उतनी तारीफ़ नहीं की जाती है, जितनी की जानी चाहिए. [14]

इस पेपर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण भारत में (पंचायत स्तर पर) लोकल गवर्नेंस में महिलाओं की भूमिका की विस्तृत समीक्षा की गई है, साथ ही महिलाओं के नेतृत्व में ग्रामीण इलाक़ों में हासिल की गई उपलब्धियों की चर्चा की गई है और उनके समक्ष पेश होने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है. इसके अतिरिक्त, इस पेपर में पंचायत स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतिगत सिफ़ारिशें भी की गई हैं. इस सबके लिए पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका से संबंधित पुस्तकों, विभिन्न शोध लेखों, अख़बारों में छपे समाचारों और सर्वेक्षण रिपोर्टों समेत दूसरे लेखकों द्वारा किए गए कार्यों का भी विस्तृत अध्ययन किया गया है और उनके निचोड़ को भी इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है. इसके अलावा इस पेपर के लेखकों द्वारा पंचायतों में कार्य करने वाली निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से बातचीत की गई है, साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों और इन संस्थानों में अपने सेवाएं दे चुके नौकरशाहों का इंटरव्यू लिया गया है. इसके साथ ही निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सहायता करने एवं उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में कार्यरत सिविल सोसाइटी के संगठनों के प्रतिनिधियों का भी साक्षात्कार लिया गया है. [D] इन सभी इनपुट एवं बातचीत से मिली जानकारी का प्राथमिक आंकड़ों के तौर पर उपयोग किया गया है, ताकि पेपर के निष्कर्षों को विश्वसनीय बनाया जा सके. एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पेपर में जो भी अध्ययन किया गया है और निष्कर्ष निकाला गया है, वो पंचायत स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उनकी भूमिका पर केंद्रित है. लोकल गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले शहरी निकायों यानी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में महिला जन प्रतिनिधियों की भूमिका एवं प्रभाव को लेकर इस पेपर में कोई चर्चा नहीं की गई है.

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का क्रमिक विकास

भारत की संघीय राजनीतिक प्रणाली की बात करें, तो इसमें तीन तरह की सरकारों या शासन प्रक्रियाओं का प्रवाधान है. यानी राष्ट्रीय सरकार या केंद्र सरकार, राज्यों की सरकार और स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था. स्थानीय स्तर पर शासन को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, पहला शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय और नगर परिषदें, दूसरा ग्रामीण इलाक़ों में पंचायती राज संस्थान. भारत में ग्रामीण आबादी बहुत अधिक है और आंकड़ों के मुताबिक़ देश की कुल जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा गांवों में निवास करता है. [15] ग्रामीण इलाक़ों की रहने वाली इस बड़ी आबादी की वजह से देश में पंचायती राज संस्थानों का महत्व बढ़ जाता है, साथ ही ग्रामीण पंचायतों में राजनीति का भी महत्व बढ़ जाता है. ऐसा इसलिए है कि राजनीतिक तरीक़े से इन संस्थानों में पहुंचकर ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से के कल्याण के लिए कार्य किया जा सकता है और उनकी सहायता की जा सकती है. पंचायत प्रणाली की बात करें, तो इसमें गांव के स्तर पर (ग्राम पंचायत), ब्लॉक स्तर पर (पंचायत समिति) और ज़िला स्तर पर (ज़िला परिषद) पर समितियां शामिल होती है. इन समितियों के पास स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी होती है. इन समितियों के सदस्य स्थानीय निवासियों द्वारा चुने जाते हैं. ग्राम पंचायत कितनी बड़ी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां लोगों की आबादी कितनी है और गांवों की संख्या कितनी है. इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों में ग्राम पंचायत के मानक भी अलग-अलग होते हैं. चुनावों के दौरान, गांव में रहने वाले मतदाता पंचायत समिति के सदस्यों का चयन करने के लिए मतदान करते हैं, वहीं ज़्यादातर राज्यों में सीधे ग्राम प्रधान (परिषद प्रमुख) का चुनाव किया जाता है. ग्राम प्रधान के चुनाव में ज़्यादातर राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों को उतारा जाता है. अगर कोई व्यक्ति गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ता है, उसके लिए उसी गांव का निवासी होना ज़रूरी है. एक और अहम बात यह है कि ग्राम पंचायत में चुने गए सदस्य बहुमत के आधार पर कोई भी निर्णय ले

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301038 |

सकते हैं. ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के पास पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर लिए गए फैसलों को रोकने या पलटने का अधिकार नहीं होता है. [16]

निष्कर्ष

हालांकि, भारत में स्व-शासन से संबंधित गांव स्तर के ढांचे का एक लंबा इतिहास रहा है. ज़ाहिर है कि आर्टिकल 40 में स्व-शासन को प्रोत्साहित करने का विचार पहले से ही शामिल है. इसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अलग से जिक्र किए बगैर इसे भारतीय संविधान की सरकारी नीति के गैर-प्रवर्तनीय निदेशक सिद्धांतों के तहत रखा गया था.[17] विकेंद्रीकरण से जुड़े मसलों को संबोधित करने के लिए वर्ष 1957 में भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कार्य प्रणाली की जांच-पड़ताल करने के लिए नियुक्त की गई बलवंत राय मेहता समिति ने सिफ़ारिश की थी कि 20 सदस्यीय पंचायत समिति को "महिलाओं एवं बच्चों के बीच जाकर काम करने में दिलचस्पी रखने वाली" दो महिलाओं को नामांकित करना चाहिए." [18] वर्ष 1961 के महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम के अंतर्गत बलवंत राय मेहता समिति के इस सुझाव का पालन करते हुए प्रावधान किया गया है कि अगर चुनाव के दौरान किसी महिला उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाती है, तो तीनों पंचायती राज निकायों यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर के निकायों में से हर एक में एक या दो महिलाओं को नामांकित किया जा सकता है. महाराष्ट्र में वर्ष 1978 में पंचायत समितियों और जिला परिषदों में महिला प्रतिनिधियों के लिए 320 सीटें थीं और उनमें से केवल छह महिलाओं को ही चुना गया था. इससे साफ ज़ाहिर होता है कि महिलाओं के चुनाव या नामांकन के प्रावधान का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई दिया और पंचायत प्रणाली में महिला जन प्रतिनिधियों को शामिल करने के मामले में यह कारगर सिद्ध नहीं पाया

भारत में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए बनाई गई समिति ने वर्ष 1974 में अपनी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक 'समानता की ओर' था, में इस तथ्य के सामने लाने का काम किया था कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, या फिर विकास से संबंधित जो भी नीतियां हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं से जुड़ी दिक़्क़तों और उनके विचारों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, जितना दिया जाना चाहिए. यानी एक लिहाज से ग्रामीण महिलाओं के नज़रिए को तवज्जो नहीं दी जाती है. [11] इस रिपोर्ट में ग्रामीण स्तर पर महिला पंचायतों की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसमें पंचायत या ब्लॉक स्तर पर महिला प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया था. वर्ष 1978 में पंचायती राज संस्थाओं पर गठित समिति (जिसे अशोक मेहता समिति भी कहा जाता है) ने प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित करने की सिफ़ारिश की थी. [20] इसी प्रकार से वर्ष 1988 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना नाम के नीतिगत दस्तावेज़ में महिला आरक्षण की सिफ़ारिश की गई थी. [12] इसमें कहा गया था कि गांव से लेकर ज़िला स्तर तक कार्यकारी-प्रमुख के 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए. इसी तरह की सिफ़ारिश वर्ष 1989 के 64वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में भी की गई थी, जो कि पास नहीं हो पाया. [13] आख़िरकार, वर्ष 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (गांव, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर पंचायतों के लिए) और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (नगर निगमों और नगर पालिकाओं के लिए) के ज़रिए पंचायती राज व्यवस्था को औपचारिक रूप से संविधान में सम्मलित किया गया. साथ ही इन दोनों ही अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रवाधान किया गया था. [14] 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की बात करें, तो इसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के दौरान एससी-एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण का विशेष प्रवाधन किया गया है. इस संशोधन अधिनियन के "खंड (1) के तहत प्रवाधान किया गया है कि महिलाओं के लिए जिनती भी सीटें आरक्षित होंगी उनमें से कम से कम एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी." इसमें यह भी प्रावधान है कि "प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में से कम से कम एक तिहाई (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, इसके साथ ही इन आरक्षित सीटों को पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में हर चुनाव में बदला जा सकता है." [15]

इस पेपर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण भारत में (पंचायत स्तर पर) लोकल गवर्नेंस में महिलाओं की भूमिका की विस्तृत समीक्षा की गई है, साथ ही महिलाओं के नेतृत्व में ग्रामीण इलाक़ों में हासिल की गई उपलब्धियों की चर्चा की गई है और उनके समक्ष पेश होने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है.

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301038 |

भारत में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावाधान करने से पहले भी देश के कई राज्य ऐसे थे, जहां महिलाओं के लिए इस प्रकार के प्रवाधन किए जा चुके थे. यानी 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित किए जाने से पहले, कुछ राज्यों ने पंचायतों में महिला आरक्षण को लागू कर दिया था. वर्ष 1961 में महाराष्ट्र द्वारा बलवंत राय समिति की सिफ़ारिशों को लागू करने के बाद वर्ष 1985 में कर्नाटक ने मंडल प्रजा परिषदों (स्थानीय लोगों की समिति) में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावाधान किया था. इसके साथ ही कर्नाटक ने इन समितियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया था. इसी तरह से वर्ष 1986 में आंध्र प्रदेश ने ग्राम पंचायतों के लिए 22 से 25 प्रतिशत के बीच आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसमें निर्वाचित महिला सदस्यों के अलावा दो और महिलाओं को पंचायत समिति में शामिल करने का प्रावधान किया गया था.[25] अगर सम्रगता से देखा जाए तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पूरे देश में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और इसका ज़बरदस्त असर भी देखने को मिला है. इसी संवैधानिक संशोधन का नतीज़ा है कि आज 1.45 मिलियन से अधिक महिलाएं भारत के गांव-गांव में पंचायतों में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं. (तालिका 1 देखें). वर्तमान में देश में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने अपने यहां पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. [26] जबकि कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में पंचायतों में महिलाओं ने 50 प्रतिशत से भी अधिक सीटों पर जीत हासिल कर इस सीमा को भी पार कर लिया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं को अब उन सीटों पर भी जीत हासिल हो रही है, जो उनके लिए आरक्षित नहीं है. [15]

भारत एक विशाल देश है और विविधाओं से भरा हुआ है. भारत में जिस प्रकार से अलग-अलग क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य अलग-अलग हैं और विकास से जुड़ी हुई प्राथमिकताएं भी अलग हैं, ऐसे में पंचायत स्तर पर महिला जन प्रतिनिधियों को भी अलग-अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. राज्यों द्वारा महिलाओं को पंचायत की राजनीति में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तरह-तरह के प्रयास किए गए हैं. कुछ राज्यों ने ऐसी पंचायतों का गठन किया है, जहां सभी सदस्य महिलाएं हैं. जैसे कि महाराष्ट्र के अहमद नजर जिले के इंदापुर तहसील में 'मंजे राय पंचायत' और रालेगांव सिद्धि में महिला पंचायत का गठन किया गया. इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के झारग्राम सब डिवीजन में 'कुल्तिकरी ग्राम पंचायत' का गठन किया गया है. देखा जाए तो ऐसी सर्व महिला पंचायातों यानी जहां सभी सदस्य महिलाएं हैं, के पीछे कई कारक ज़िम्मेदार हैं, जिनसे इसकी प्रेरणा मिली है. इस कारकों में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, स्थानीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और महिलाओं के बीच अपना समर्थन बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा दिया गया समर्थन. इस सर्व महिला पंचायतों ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है. जैसे कि महिलाओं की साक्षरता बढ़ाने के अभियान चलाए हैं, साथ ही गांवों में महिलाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ख़ास तौर पर ध्यान दिया है, ताकि वे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन सकें. [10]

कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने स्थानीय स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करने के लिए महिला ग्राम सभाओं की शुरुआत की है. हालांकि, कई सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से राज्यों की ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी उत्साहजनक नहीं हो पाई है. जैसे कि महिलाओं के राजनीतिक गतिविधियों में आगे आने में कई सामाजिक अवरोध हैं और महिलाओं को अपने अधिकारों की समुचित जानकारी नहीं है. [30] पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया [F] द्वारा वर्ष 2018 में राजस्थान में किए गए सर्वे के मुताबिक़ वहां अधिकांश महिला प्रतिनिधियों ने कभी भी ग्राम सभा की बैठक में शिरकत नहीं की, साथ ही गांव में ग्राम सभा द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं में भी उनकी दिलचस्पी नहीं थी. उल्लेखनीय है कि महिला ग्राम सभा की परिकल्पना सबसे महाराष्ट्र में सामने आई थी. दरअसल, वहां स्वयं सहायता समूहों (SHGs) [G] और समुदाय की महिला सदस्यों ने शराब के विरुद्ध रणनीति बनाने के लिए 'महिला सभा' (महिलाओं की बैठक) की बैठक आयोजित की थी. बाद में गांवों में महिला ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं के स्वास्थ्य, महिलाओं के ख़िलाफ़ घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह और महिलाओं के लिए आजीविका के अवसरों जैसे महिलाओं से संबंधित विभिन्न मसलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाने लगा. [12]

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301038 |

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को लेकर एक स्टडी की गई थी. इस अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और असम जैसे राज्यों में महिला प्रधान पंचायत से संबंधित गतिविधियों में ज़्यादा रुचि नहीं लेती थीं, बल्कि वे अपने पारिवारिक कामकाज में ही लगी रहती थीं. जबकि इस अध्ययन में यह भी सामने आया कि अरुणाचल प्रदेश और केरल जैसे कुछ राज्यों में महिला प्रधान अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता से करती थीं. [14] इसके अलावा, केरल में यह भी देखा गया कि वहां निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पंचायत-संबंधित गतिविधियों में अपनी पूरी भागीदारी निभाती थीं. [33] एक अन्य अध्ययन के मुताबिक़ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा और केरल जैसे राज्यों में परिवार के सदस्य और सामुदायिक समूह, जैसे कि स्वयं सहायता समूह, क्लब और महिला पंचायत, महिलाओं को चुनावों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. इसके साथ ही इन राज्यों में पंचायत स्तर पर राजनीतिक दल भी बेहद सक्रिय हैं. [34] इन राज्यों में पंचायत स्तर पर राजनीति दलों की सक्रियता शायद इसलिए अधिक है, क्योंकि यहां गांव के लोगों की राजनीति में ज़बरदस्त दिलचस्पी है.

इसके अलावा, कई राज्य ऐसे भी हैं, जिन्होंने पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की नेतृत्व प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू किए हैं. उदाहरण के तौर पर, केरल में सरकारी स्तर पर कुदुम्बश्री पहल संचालित की जा रही है. इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया गया है और महिला जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. इस पहल ने केरल में महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने का काम किया है और पिछले दो दशकों में गांव के स्तर पर राजनीति में कौशल विकसित करने का काम किया है. [15]

पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर वर्ष 2004 में हरियाणा में भी इसी तरह का अध्ययन किया गया था. इस शोध में यह सामने आया था कि हरियाणा में "महिला सरपंचों यानी ग्राम पंचायत की प्रमुख को पर्दा प्रथा, शिक्षा की कमी, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने में झिझक, पंचायत प्रणाली के बारे में जागरूकता की कमी और घर से बाहर निकले में तमाम तरह की पाबंदियों जैसी प्रमुख दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है." [36] हालांकि, ऐसा नहीं है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ने से कोई लाभ नहीं हुआ है. हरियाणा में किए गए इस अध्ययन में यह भी सामने आया कि महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित करने के और महिलाओं को लोगों के बीच पहुंच कर उनसे जुड़ी परेशानियों को जानने-समझने का अवसर उपलब्ध कराने के कई फायदे भी हुए हैं. जब कोई महिला ग्राम पंचायत समिति में होती है, गांव की अन्य महिलाओं को महिला नेता के समक्ष अपनी समस्या साझा करने में सहूलियत होती है. ऐसा होने से महिलाओं की सामाजिक स्थित भी सशक्त होती है. कुल मिलाकर महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने के कई सकारात्मक नतीज़े भी हासिल हुए हैं.[37] हरियाणा के इसी प्रकार के एक अन्य अध्ययन और किया गया, जिसमें 21 जिलों में 295 महिला सरपंचों के साथ साक्षात्कार किया गया था. इस स्टडी के अनुसार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते समय कई सामाजिक-सांस्कृतिक अवरोधों से भी जूझना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद महिला प्रतिनिधियों की पंचायत से जुड़ी गतिविधियों में दिलचस्पी बढ़ी है, साथ ही समस्याओं का समाधान तलाशने की उनकी योग्यता में भी इजाफ़ा हुआ है. [8]

ग्राम पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें अपने मन-मुताबिक़ कार्य करने की आज़ादी नहीं मिलती है. कहने का तात्पर्य यह है कि आरक्षित सीटों से जीतने वाली महिलाएं 'रबर स्टाम्प' बनकर रह जाती हैं. आरक्षित सीटों से जीतने वाली महिला प्रतिनिधियों की स्थिति का आकलन करने के लिए वर्ष 2008 में पंजाब की तीन ग्राम पंचायतों में एक सर्वेक्षण किया गया था. इस सर्वेक्षण के दौरान 75 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने बताया कि वे तो सिर्फ नाम की प्रतिनिधि हैं, जबकि पूरा कामकाज तो उनके पतियों द्वारा संभाला जाता है. [39] हाल के दिनों में किए गए इसी प्रकार के तमाम अध्ययनों में भी यही सच्चाई सामने आई है. इन अध्ययनों के अनुसार कई राज्यों में अभी भी महिलाओं को प्रॉक्सी के रूप में रखा जाता है और महिलाओं के लिए स्वतंत्र रूप से पंचायत से जुड़ी गतिविधियों को अंज़ाम देने से जुड़ी चुनौती बरक़रार हैं. [40] हालांकि, कई अध्ययन ऐसे भी हैं, जो यह बताते हैं कि समय के साथ-साथ ग्राम पंचायत से संबंधित कार्यों में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है. [4]

वास्तविकता यह है कि रूढ़िवादी सामाजिक माहौल के बावज़ूद पूरे देश में कई गांवों में महिला प्रतिनिधियों ने सामाजिक परिवर्तन की अगुवाई करने का काम किया है और अपनी एक अलग पहचान क़ायम की है. कम लिंगानुपात के लिए कुख्यात हरियाणा राज्य की बात करें तो वहां पंचायत स्तर की महिला नेताओं ने अपने गांवों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है. जैसे कि इन महिला नेताओं ने पर्दा प्रथा को कम करने, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करने, खुले में शौच को कम

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 1, January 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1301038 |

करने, स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या में कमी लाने और लिंगानुपात में सुधार करने को लेकर अभूतपूर्व प्रयास किए हैं.[43] देश के कई अन्य राज्यों में भी महिला प्रतिनिधियों ने समाज में गहराई तक फैली पुरुष प्रधान सोच के विरुद्ध संघर्ष किया है. इतना ही नहीं, इन महिला नेताओं ने स्वयं सहायता समूह जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के भी प्रयास किए हैं. [13] राजस्थान जैसे राज्यों में तो कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं, जहां बहुत पढ़ी-लिखी और उच्च पदों पर नौकरी करने वाली महिलाओं ने अपने गांवों के विकास के लिए पंचायत का चुनाव लड़ने का फैसला किया. [14]

इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों को पर्याप्त धनराशि आवटंति नहीं किए जाने की वजह से भी ज़मीनी स्तर पर लिंग-समावेशी विकास यानी महिलाओं का विकास प्रभावित हुआ है.[15] इस स्थिति को ठीक करने के लिए केरल और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने फंड आवंटन के तरीक़े में बदलाव कर महिलाओं के विकास में आने वाली रुकावटों को दूर करने की कोशिश की है. इसके लिए इन राज्यों ने पंचायतों के लिए लिंग आधारित बजट की शुरुआत की है. [15]

संदर्भ

1. "भारत में पंचायती राज संस्थाएँ" । India.gov.in ।
2. ^ "पंचायती राज संस्थाओं के बुनियादी आँकड़े" । पंचायती राज मंत्रालय. 2019. 24 अप्रैल 2020 को मूल से संग्रहीत । 28 अक्टूबर 2020 को लिया गया ।
3. ^ रेणुकादेवी नागशेट्टी (2015)। "IV. कर्नाटक में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और संगठनात्मक पहलू" । भारत में पंचायत राज संस्थाओं के कामकाज में समस्याएँ और चुनौतियाँ। गुलबर्गा जिला पंचायत का एक केस स्टडी (पीएचडी)। पी। 93. एचडीएल : 10603/36516 . 13 अक्टूबर 2017 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 28 अक्टूबर 2020 को लिया गया ।
4. ^ "कार्यवाही का रिकॉर्ड। रिट याचिका (सिविल) संख्या 671/2015" (पीडीएफ) । विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा वेबसाइट "भारत पर्यावरण पोर्टल" । भारत का सर्वोच्च न्यायालय. 2015. पी. 3. 28 अक्टूबर 2020 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 28 अक्टूबर 2020 को लिया गया ।
5. ^ शर्मा, शकुंतला (1994)। जमीनी स्तर की राजनीति और पंचायती राज । गहन एवं गहन प्रकाशन। पी। 131.
6. ^ सिंह, सूरत (2004)। भारत में विकेंद्रीकृत शासन: मिथक और वास्तविकता । गहन एवं गहन प्रकाशन। पी। 74. आईएसबीएन 978-81-7629-577-2.
7. ^ "भारत की ग्रामीण स्थानीय सरकार की संरचना" । 3 जनवरी 2022 को लिया गया ।
8. ^ सिंह, विजेंद्र (2003)। "अध्याय 5: पंचायती राज और गांधी"। पंचायती राज और ग्राम विकास: खंड 3, पंचायती राज प्रशासन पर परिप्रेक्ष्य । लोक प्रशासन में अध्ययन. नई दिल्ली: सरूप एंड संस। पीपी. 84-90. आईएसबीएन 978-81-7625-392-5.
9. ^ "गांवों में रहना | डी+सी - विकास + सहयोग" ।
10. ^ पंचायती राज: अरुणाचल प्रदेश में जमीनी स्तर की गतिशीलता, पी। 13, एपीएच प्रकाशन, 2008, प्रताप चंद्र स्वैन
11. ^ सिसौदिया, आरएस (1971)। "गांधीजी का पंचायती राज का दृष्टिकोण"। पंचायत और इंसान . 3 (2): 9-10.
12. ^ शर्मा, मनोहर लाल (1987)। भारत में गांधी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण । नई दिल्ली: गहन एवं गहन प्रकाशन। ओसीएलसी 17678104 । हाथी ट्रस्ट प्रतिलिपि, केवल खोजें
13. ^ हार्डग्रेव, रॉबर्ट एल. और कोचानेक, स्टेनली ए. (2008)। भारत: एक विकासशील राष्ट्र में सरकार और राजनीति (सातवां संस्करण)। बोस्टन, मैसाचुसेट्स: थॉमसन/वड्सवर्थ । पी। 157 . आईएसबीएन 978-0-495-00749-4.
14. ^ भारत 2007, पृ. 696, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
15. ^ "स्वतंत्र भारत में पंचायती राज प्रणाली" (पीडीएफ) । Pbrdp.gov.in । 8 अगस्त 2019 को लिया गया ।

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor

doi crossref

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

Scan to save the contact details

www.ijirset.com